281471/2020/Library

फा. सं. 40-20/2016-पुस्तकालय (भाग)
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
पुस्तकालय अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
दिनांक : 18वी अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति आधार (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा संस्कृति मंत्रालय में निदेशक (केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार) के पद को भरने हेतु।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति मंत्रालय 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 (123100-215900 रु.) में प्रतिनियुक्ति आधार पर (अल्पकालिक संविदा सहित) संस्कृति मंत्रालय में निदेशक (केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार) की 01 रिक्ति पर केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्द्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा पद को भरने का प्रस्ताव करता है :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात् :

अनिवार्य :

i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।
ii. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के नियंत्रणाधीन किसी पुस्तकालय में बारह वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

वांछनीय :

i. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत किसी पुस्तकालय में पुस्तक कार्यकलापों को कम्प्यूटरीकृत करने का एक वर्ष का अनुभव।

281471/2020/Library

ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा की अवधि भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा की अवधि भी है) शामिल है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा की अवधि भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से, जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के एक लेवल में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वेतन मैट्रिक्स में वह लेवल बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन है।

2. प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नतति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होनी होगी।

3. प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते सहित अपने ग्रेड वेतन को वित्त मंत्रालय के दिनांक 7.11.1975 के समय-समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.1(11)-ई.III(ख)/75 के अनुरूप आहरित अथवा निदेशक (सीएसएल) के पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण करने का विकल्प प्राप्त होगा। यह प्रतिनियुक्ति डीओपीटी के समय-समय पर संशोधित दिनांक 17.06.210 के का. ज्ञा. सं. 6/08/09 (स्थापना)(वेतन-II) में यथानिर्धारित शर्तों के अधीन की जाएगी।

4. वह अधिकारी जो पात्रता की उपरोक्त शर्तों को पूरा करता हो वह अपने नियोक्ता के माध्यम से निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज सहित अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकता है :

i) संलग्न प्रोफार्मा में अभ्यर्थी द्‌वारा विधिवत हस्ताक्षरित और समुचित चैनल के माध्यम से अग्रेषित आवेदन पत्र (दो प्रतियों में)।

ii) विगत 05 वर्षों के एपीएआर/एसीआर की प्रतियां जिनके प्रत्येक पृष्ठ को अवर सचिव स्तर के कम से कम स्तर के अधिकारी द्‌वारा सत्यापित किया गया हो।

iii) सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र।

iv) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।

v) विगत 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ती, यदि कोई हो, का विवरण।

vi) संवर्ग निकासी प्रमाणपत्र

5. वे अधिकारी जिनका चयन होने की स्थिति में उन्हें कार्यभार मुक्त किया जा सकता है, संलग्न प्रपत्र में उनके नियोक्ता द्‌वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षरित आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) **इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर इस मंत्रालय को भेज दिए जाएं।** अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले या गोपनीय रिपोर्ट के बिना या अन्य किसी प्रकार से अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

6. आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय नियोक्ता द्‌वारा यह सत्यापित या प्रमाणित किया जाए कि अधिकारियों द्‌वारा उपलब्ध कराए गए विवरण सही हैं। **सभी आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अवर सचिव (पुस्तकालय), संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, सीएसएल बिल्डिंग, प्रथम तल, नई दिल्ली के नाम पर अग्रेषित किए जाएं।**

(अशीश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23382539

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग*
2. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन*

* (उनसे अनुरोध है कि वे इस रिक्ति को सभी अर्द्ध सरकारी/सांविधिक/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/मान्यताप्राप्त शोध संस्थाओं/शैक्षिक संस्थाओं/उनसे संबंधित स्वायत्त संगठनों को प्रचालित करें)।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु : -

1. संस्कृति मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
2. संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्त/सांविधिक संगठन
3. शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से सभी विश्वविद्यालय।
4. एनआईसी, संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विज्ञापन को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

281471/2020/Library

प्रपत्र

1	**नाम**	
2	जन्म तिथि	
3	सेवानिवृत्ति की तारीख (केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत)	
4	शैक्षिक अहर्ताएं	
5	क्या उक्त पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अहर्ताओं को पूरा करते हैं। यदि किसी अहर्ता को नियमावली में निर्धारित किसी अहर्ता के समतुल्य माना गया है तो उससे संबंधित प्राधिकरण का ब्यौरा दें। अपेक्षित अहर्तालाएं:- **अनिवार्य:** i) ii) iii) **वाछंनीय:** i) ii)	अभ्यर्थी द्वारा धारित अहर्ताएं
6	i) धारित वर्तमान पद ii) जिस तारीख से धारित किया गया है iii) वेतनमान और iv) उस पर आहरित वेतन	
7	चयन के विषय क्षेत्र में अनुभव	
8	सेवा का विवरण i) पद और नियोक्ता का नाम ii) से/तक iii) वेतनमान (या 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में लेवल) iv) नियुक्ति की प्रकृति (तदर्थ/नियमित) v) की जाने वाली ड्यूटियों की प्रकृति	
9	क्या अजजा/ज.जा से संबंधित हैं	
10	अभ्युक्तियां	

वचनपत्र

मैं पूरी तरह से पुष्टि करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण सही हैं और किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। यदि मेरी नियुक्ति के बाद कोई तथ्य सामने आता है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

प्रतिहस्ताक्षरित (नियोक्ता)   अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

F.No. 40-20/2016-Lib.(pt)
Government of India
Ministry of Culture
Library Division

Shastri Bhawan, New Delhi,
Dated 18th August, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Filling up the post of Director (Central Secretariat Library) in the Ministry of Culture by transfer on deputation basis (including short term contract).

The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to say that the Ministry of Culture proposes filling up of 01 vacancy of post of Director(Central Secretariat Library) in the Ministry of Culture in Level-13 (Rs.123100-215900) in the revised pay matrix of 7th CPC, on deputation basis (including short term contract), from amongst officers of the Central or State Governments or Union Territories or Semi-Government or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations or Recognized Research Institution or Educational Institution: -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 11 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience, namely:

Essential:

i. Masters' Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University or Institute;
ii. Twelve years' professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertaking or University or Recognized Research or Educational Institution.

Desirable:

i. One year experience of computerizing Library activities in a Library under Central Government or State Governments or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertaking or University or recognized Research or educational Institution.
ii. Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.

281471/2020/Library

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including period of short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of applications].

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one Level in the Pay Matrix, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Level in the pay matrix is the normal replacement without any upgradation.

2. The period of deputation/contract will ordinarily not exceed 3 years. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not exceed 5 years.

3. The officers selected on deputation will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance in accordance with the Ministry of Finance' OM No.F.1(11)-E.III(B)/75 dated 7.11.1975 as amended from time to time or to have his pay fixed in the pay scale of the post of Director (CSL).The deputation will be governed by the terms of deputation as laid down in the DoPT O.M No.6/08/09(Estt.)(Pay-II) dated 17.06.2010, as amended from time to time.

4. The officer who fulfils the above mentioned conditions of eligibility may submit their applications along with the following requisite documents, through their employer:

i. Applications (in duplicate) in the enclosed proforma duly signed by candidate and forwarded through proper channel.
ii. Copies of APAR/ACRs for the last 05 years duly attested on each page by an officer not below the rank of Under Secretary.
iii. Vigilance Clearance Certificate.
iv. Integrity Certificate
v. A statement of Major/Minor penalty, if any, imposed on the officer during the last 10 years.
vi. Cadre Clearance Certificate.

281471/2020/Library

5. Applications (in duplicate) in the enclosed proforma duly countersigned by the employer of the officers who can be spared in the event of their selection **are to be sent to this Ministry within 45 days from the date of issue of this OM**. The application received after the last date or without the confidential reports or otherwise found incomplete will not be taken in to consideration. Candidates who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

6. While forwarding the applications it may be verified or certified by the employer that the particulars furnished by the officers are correct. **The application with all necessary documents may be forwarded in the name of Under Secretary (Libraries), 1st Floor, CSL Building, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi**.

7. The Hindi version of this letter will follow.

(Ashish Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele No. 011-23382539

To

1. All Ministries/Departments of Government of India. *
2. All State Governments & Union Territory Administrations. *

* (They are requested to circulate the vacancy to all semi-government/statutory/public sector undertaking / Recognized Research Institutions / Educational Institutions / autonomous organization with whom they are concerned).

Copy for necessary action to:-
1. All attached and subordinate offices of the Ministry of Culture.
2. All autonomous/statutory organizations under the Ministry of Culture.
3. All universities through M/o Education.
4. NIC, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi with a request to upload the advertisement in the Ministry's website both in Hindi and English.

PROFORMA

1	Name	
2	Date of birth	
3	Date of retirement (under Central/State Govt. Rules)	
4	Educational qualifications	
5	Whether educational qualifications required for the post are satisfied. If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in Rules, state the authority for the same. Qualifications required:- **Essential:** i) ii) iii) **Desirable:** i) ii)	Qualifications possessed by the candidate
6	i) Present post hold ii) Date from which hold iii) The scale of pay and iv) Pay drawn therein	
7	Experience in the subject field of selection	
8	Details of service i) Name of post & employer ii) From/To iii) Scale of Pay (or level in new 7th CPC Pay Matrix) iv) Nature of appointment(adhoc/regular v) Nature of duties performed	
9	Whether belongs to SC/ST	
10	Remarks	

Undertaking

I solemnly confirm that the above particulars furnished by me are correct and no fact(s) has been concealed. If any, facts come to in notice after my appointment, my appointment may be terminated.

Countersigned (employer)

Signature of the candidate